न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या .28 /2018

उनवान

1.कमला पत्नि हरि जाति जाट निवासी सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थीया

बनाम

1.हरि पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी :– श्री शंकर लाल चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादी :– श्री चतुर्भुज गुर्जर निर्णय दिनांक : 9.3.2018

दावा बाबत उद्वघोषणा , दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अनतर्गत धारा 88,92,व 188 रा0टि0एक्ट 1955

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में खाता संख्या 201 में खसरा 77, 79, 332, 454/686, 456, 458, 459, 463, 540, 545, 623, कुल किता 11 कुल रकबा 37 बीधा 07 बिस्वा वाके ग्राम सीसोला में हिस्सा 1/6 एवं जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 90 में ख0न0 215,216 कल किता 2 कुल रकबा 25 बीधा 06 बिस्वा वाके ग्राम अकबरनगर पटवार मण्डल अनवरपुरा खेडा में हिस्सा 1/6 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 91 में ख0न0 38 ,42 कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीधा 07 बिस्वा वाके ग्राम अकबरनगर पटवार मण्डल अनवरपुरा खेडा में हिस्सा 1/6 प्रतिवादी का हिस्सा है। जो की वादी एवं प्रतिवादी पति पत्नि है। तथा प्रतिवादी आदतन नशेडी व्यक्ति है जो आये दिन वादिया से लडाई झगडा कर उपरोक्त वर्णित भूमि जो की पेतृक एवं पूर्वजो की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। क्योकि प्रतिवादी आये दिन नशे करने का आदतन होने के कारण उक्त भूमि को विकय करने पर अमादा है। इस कारण वादीया को उक्त भूमि में जो कि प्रतिवादी के नाम 1/6 हिस्से में खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर प्रतिवादी का नाम हटाया जावे ताकि वादीया अपने परिवार की लालन पालना कर सके एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे की भूमि को रहनदान बैचान नही करे । खुर्द बुर्द नही करे न ही किसी प्रकार से व अन्य के माध्यम से मजाहम नही कराये अन्तरण नही करें । दावा डिकी किया जावें ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी एवं अधिवक्ता श्री चतुर्भूज गुर्जर ने उपस्थित होकर मय वकालत नामा राजीनामा पेश कर निवेदन किया की दावा वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष के अनुरूप डिकी जावे ।

हमने बहस अभिभाषकगण सुनी। प्रस्तुत पत्रावली में प्रतिवादी की और से प्रस्तुत राजीनामा, शपथ पत्र, पहचान पत्र, एवं वादीया के शपथ पत्र के आधार पर जो

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

की वादीया एवं प्रतिवादी पति पत्नि है। तथा प्रतिवादी आदतन नशेडी व्यक्ति होना बताया गया है । तथा आये दिन वादिया से लडाई झगडा कर उपरोक्त वर्णित भूमि जो की पेतृक एवं पूर्वजो की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर अमादा होने व प्रतिवादी स्वंय ने राजीनामा से सम्पूर्ण भूमि वादीया के नाम करने व अपना नाम हटाने का पेश किया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में लोक अदालत की भावना एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में खाता संख्या 201 में खसरा 77, 79, 332, 454/686, 456, 458, 459, 463, 540, 545, 623, कुल किता 11 कुल रकबा 37 बीधा 07 बिस्वा वाके ग्राम सीसोला में हिस्सा 1/6 एवं जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 90 में ख0न0 215,216 कल किता 2 कुल रकबा 25 बीधा 06 बिस्वा वाके ग्राम अकबरनगर पटवार मण्डल अनवरपुरा खेडा में हिस्सा 1/6 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 91 में ख0न0 38 ,42 कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीधा 07 बिस्वा वाके ग्राम अकबरनगर पटवार मण्डल अनवरपुरा खेडा में हिस्सा 1/6 प्रतिवादी हरि पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी सीसोला का उक्त भूमियो में हिस्सा में वादीया को उक्त भूमियो में 1/6 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है । तथा तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया दिया जाता है कि प्रतिवादी हरि पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी सीसोला का नाम 1/6 हिस्सा में से हटाया जाकर वादीया कमला पत्नि हरि जाति जाट के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावें । राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा । डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक